

2020

अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से उक्त बंदोबस्त भूमि का अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।

19.12.2020

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में संलग्न कागजात तथा संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत मौजा रौतारा थाना सं० 372 के गैरमजरूआ खाता 43 खेसरा सं० 360 खतियानी रकवा 04-00-19 धूर किस्म. परतीकदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में दर्ज है। इसी मौजा के पंजी 2 अवलोकन से पाया कि खाता सं०- 43मी० में खेसरा सं०- 360 के अन्दर अंश रकवा 00-11-12 धूर भूमि अं०अ० गोड्डा के नामांतरण वाद सं०- 16/05-06 से बसंत कुमार झा पिता स्व० सप्तमी झा के नाम से कायम है। विदित होकि नामांतरण वाद सं० 84/1989-90 के अभिलेख में माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC no. 738/1967 का उल्लेख करते हुए खेसरा सं० 360 की भूमि बिक्री करने की अनुमती देते हुए बसौड़ी करने का जिक्र है। CWJC no. 738/1967 में पारित आदेशानुसार मौजा रौतारा थाना सं० 372 के गैरमजरूआ खाता 43 खेसरा सं० 360 खतियानी रकवा 04-00-19 धूर भूमि पर जो भी रैयत हैं उन्हें बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत **Occupancy** रैयत का दर्जा दिया जाय तथा रैयतों द्वारा उक्त जमीन की खरीद-बिक्री पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया जाय। प्रश्नगत खेसरा की भूमि को संचाल परगना कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बसौड़ी श्रेणी की भूमि मानकर विभिन्न रैयतों के द्वारा खरीद-बिक्री भी किया गया है। स्थलीय जांच में पाया कि पंजी 2 में कायम प्रश्नगत खाताधारी का उक्त भूमि पर मकान के रूप में शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त खाता अवैध/संदेहास्पद के श्रेणी में नहीं आता है तथा इनके द्वारा वाद को संचिकास्त करने की अनुशांसा की गई है।

अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04 स०भू०(दिशा-निदेश) 95/2016, 2074/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग दिनांक 13.05.2016 के आलोक में मौजा रौतारा थाना सं० 372 के गैरमजरूआ खाता 43 खेसरा सं० 360 के अंश रकवा 00-11-12 धूर भूमि बसंत कुमार झा पिता स्व० सप्तमी झा के नाम से संधारित अवैध/संदेहास्पद कायम खाता-43मी० अवैध/संदेहास्पद खाता की श्रेणी में नहीं रहने के कारण वाद को संचिकास्त की जाती है।

अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।